केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 191 गुरूवार 1 फरवरी 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने डॉ. रघुवर पाण्डेय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती,भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के गोरक्ष प्रांत के संयोजक रमेश सिंह एवं सह संयोजक डॉ संजय द्विवेदी की संस्तुति पर ,भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक चन्द शर्मा, सदस्य विधान परिषद की अनुमति एवं अनुमोदन से बस्ती जनपद के जिला संयोजक का दायित्व समाजशास्त्री डॉ रघुवर पाण्डेय,जिला सह संयोजक मनीष श्रीवास्तव,अजय प्रकाश श्रीवास्तव, डॉ बृजेश कुमार पासवान,को मिला है। डॉ रघुवर पाण्डेय ने जिला संयोजक के दायित्व प्रदान करने हेतु भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है,और कहा कि पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन निष्ठा पूर्वक किया जाएगा।

डॉ .रघुवर पाण्डेय के जिला संयोजक बस्ती बनाए जाने पर अनेक जन प्रतिनिधियों, भाजपा नेताओं ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

अमरमणि मामले में अगली सुनवाई 9 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में सुनवाई के दौरान सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी–एमएलए प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में डीएम बस्ती की आख्या नहीं पेश हुई। कोर्ट ने डीएम की आख्या के लिए रिमाइंडर प्रेषित करने का आदेश दिया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई आगामी नौ फरवरी को होगी। फिलहाल पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की चल–अचल संपत्ति की कुर्की के लिए अब डीएम बस्ती की आख्या मिलने तक पेंच फंस गया है। पूर्व में उम्मीद थी कि अदालत में अगली सुनवाई यानी 30 जनवरी 24 तक सीआरपीसी की धारा 82 के बाद 83 (कुर्की) की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। एमपी–एमएलए कोर्ट ने अपहरण के केस में फरार आरोपी अमरमणि की संपत्ति की कुर्की के लिए ढाई महीने पहले ही आदेश दे दिया था। मामले की विवेचना करने वाली कोतवाली पुलिस ने आरोपी के आवास पर जाकर कुर्की की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। बीते 11 नवंबर 23 को अमरमणि के गोरखपुर जिले के हुमायुंपुर आवास पर जाकर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की करने की नोटिस चस्पा कर दी थी। फरार आरोपी के संबंध में अखबारों में इश्तहार भी प्रकाशित करवा चुकी है। एसपी बस्ती ने कुर्की के लिए चल–अचल संपत्तियों के आकलन के लिए पांच टीमें गठित कर उनके संभावित संपत्ति के ठिकानों गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ में भेजकर संपत्ति का ब्योरा भी जुटाया गया, जिसमें महराजगंज के नौतनवा में एक मकान और लखनऊ के विक्रांत खंड में 450 वर्गमीटर भूखंड जिसकी कीमत एक करोड़ 18 लाख 80 हजार रुपये कीमत की आकी गई है।

सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी–एमएलए प्रमोद कुमार गिरि की कोर्ट ने डीएम बस्ती को निर्देशित किया है कि जिलाधिकारी यह स्थिति स्पष्ट करें कि अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी की चल–अचल संपत्ति बस्ती जिले में है या नहीं ताकि समस्त जिलों में अभियुक्त की संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रमुख सचिव गृह को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा सके।

ज्ञानवापी पर कोर्ट ने दिया व्यास जी के तहखाने में पूजा–पाठ की अनुमति

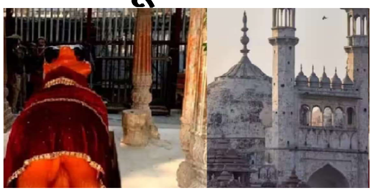

वाराणसी (आभा)। ज्ञानवापी के दक्षिणी हिस्से में बने व्यास जी के तहखाने में हिन्दू पक्ष को पूजा–पाठ की इजाजत मिल गई है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने डीएम को सात दिन के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा–पाठ के प्रबंध करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से रखे गये पुजारी यहां पूजा करेंगे। पूजा के लिए लोहे के बाड़ हटाकर रास्ता देने के लिए भी डीएम को आदेश किया गया है। पिछले ही हफ्ते अदालत के आदेश पर व्यास जी के तहखाने की चाबी डीएम ने अपने कब्जे में ली थी। हिन्दू पक्ष के वकील इस फैसले को राममंदिर का ताला खुलवाने जैसा मान रहे हैं। इस तहखाने पर 1993 से पहले पूजा पाठ होती थी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद ज्ञानवापी के चारों तरफ प्रशासन ने लोहे की बैरिकेडिंग कर दी थी। इससे तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया था और पूजा पाठ भी बंद हो गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में बने नंदी के ठीक सामने स्थित ज्ञानवापी के इस तहखाने में 1993 से पहले सोमनाथ व्यास का परिवार नियमित पूजा पाठ करता था। लोहे की बैरिकेडिंग लगने से वहां आना–जाना बंद हो गया और पूजा पाठ भी बंद हो गई थी। पिछले साल जब ज्ञानवापी में स्थित शृंगार गौरी में पूजा की इजाजत समेत कई मामले दाखिल हुए तो तहखाने में भी दोबारा पूजा पाठ के लिए व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास ने अदालत से गुहार लगाई थी।

आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए डीएम ने दिया 15 दिन का समय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । 59 हजार परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को 15 दिन का समय दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होने 2 लाख 59 हजार में से 2 लाख परिवारों में एक गोल्डन कार्ड बन जाने पर तथा दैनिक रूप से गोल्डन कार्ड बनाने में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर उन्होने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई दिया। उन्होने निर्देश दिया है कि सभी परिवारों में कम से कम एक गोल्डन कार्ड का लक्ष्य अगले 15 दिन में पूरा करें।

उन्होने सभी खण्ड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत को निर्देश दिया है कि इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। पंचायत सहायको के पास बायोमैट्रिक मशीन उपलब्ध है, उनका सहयोग लेकर कार्ड बनवाये। समीक्षा में उन्होने पाया कि कुल 11 लाख में से 7 लाख से अधिक लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है। उन्होने इस प्रगति को देखते हुए आयुष्मान भारत योजना की टीम का वेतन बहाल करने का भी निर्देश दिया है।

उन्होने ई–खतौनी, डिजिटल क्राप सर्वे, मुकदमों के निस्तारण तथा कायाकल्प योजना के अन्तर्गत अच्छी प्रगति को देखते हुए इससे जुड़े सभी अधिकारियों–कर्मचारियों की सराहना किया। उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी बीडीओ, सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत का पूर्व में रोका गया वेतन बहाल करने का निर्देश दिया है। उन्होने कायाकल्प योजना में विद्यालयों में फर्नीचर का कार्य अपूर्ण पाये जाने पर रूधौली के खण्ड विकास अधिकारी, एबीएसए तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। बैठक में पूछे जाने पर तीनों अधिकारियों ने फर्नीचर की आपूर्ति ना होने वाले विद्यालयों की अलग–अलग संख्या बतायी।

गिरफ्तार हो सकते हैं हेमंत सोरेन

रांची (आभा)। झारखंड की सियासत में बुधवार का दिन बेहद अहम है। कथित जमीन घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रवर्तन निदेशालय से आमना–सामना हो रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास पर ईडी की छापेमारी और करीब 40 घंटे तक सीएम के 'लापता' होने के बाद सियासी पारा तेज हो गया है। ईडी का दावा है कि सोरेन के घर से छापेमारी के दौरान 36 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। ईडी के दावे के बाद सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार दोपहर और फिर देर शाम गठबंधन दलों के विधायकों के साथ बैठक की। विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। माना जा रहा है कि विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं।

प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यकारिणी का विस्तारः अभिषेक जायसवाल मंत्री बने

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई रामनगर द्वारा बुधवार को कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रसेन मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से अभिषेक जायसवाल को मंत्री, अनिल कुमार मौर्या तथा अशरफ अली को उपाध्यक्ष, संतराम वर्मा को ऑडिटर चुना गया। विस्तार के उपरांत सभी पदाधिकारियों ने शिक्षक हित में काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरे मनोयोग से निर्वहन किया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रसेन मिश्रा ने कहा कि गत दिनों शिक्षकों के स्थानांतरण हो जाने से कुछ पदाधिकारी दूसरे जनपद में चले गए थे इसके उपरांत कार्यकारिणी में कई पद रिक्त हो गए थे। संगठन के हित को देखते हुए रिक्त पदों पर पदाधिकारी के रूप में शिक्षक मनोनीत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम शिक्षकों के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन का है। पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है सरकार को इसे अभिलंब लागू करना चाहिए। पुरानी पेंशन के लिए एनजेसीए की अगुवाई में होने वाली महाहड़ताल के लिए सभी शिक्षक और कर्मचारी कमर कस चुके हैं।बैठक में पप्पू सक्सेना, गुरुलाल वर्मा, शमसुल हुदा, राजकांत, अजय कुमार, मजहर आलम, अब्दुल कयूम, ज्ञानेश्वर शुक्ल, निखिलेश मिश्र, अंकित चौधरी, अरविंद कुमार जायसवाल, परवेज अख्तर, रज्जव अली, अनिल विभाकर, सुनील चौधरी, राजेश कुमार, अंगद कुमार सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और सदस्य गण मौजूद रहे।

कांग्रेस असंगठित कामगार के पूर्वान्चल कोआर्डिनेटर बने नोमान अहमद

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । अखिल भारतीय असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस 'के.के.सी.' के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज ने नोमान अहमद को पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल का कोआर्डिनेटर नियुक्त किया है। नोमान अहमद ने कहा कि असंगठित कामगारों के हितों के लिये कार्य तेज किया जायेगा।

नोमान अहमद को पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल का कोआर्डिनेटर नियुक्त किये जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 'ज्ञानू', संतकबीर नगर जिलाध्यक्ष प्रवीण चन्द्र पाण्डेय, देवेन्द्र श्रीवास्तव, मो. रफीक खां, डॉ. बबिता शुक्ला, अरूण कुमार पाण्डेय, उदयराम यादव, सलाहुद्दीन, साधूशरन आर्य, मो. वहीद, अताउल्ला, अनिल त्रिपाठी, मनीष श्रीवास्तव, सुधीर यादव, फरमान अहमद के साथ ही कांग्रेस के अनेक पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

मण्डलायुक्त ने किया 50 लाख से ऊपर के निर्माण परियोजनाओं की समीक्षाः 384 परियोजनाओं पर जारी है कार्य

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने निर्देश दिया है कि अनारम्भ निर्माण कार्यो की टेण्डर प्रक्रिया पूरी करते हुए वर्कआर्डर जारी कराये तथा कार्य शुरू करायें। सभागार में आयोजित 50 लाख से ऊपर की निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लायें। उन्होने रेलवे स्टेशन मार्ग को पूर्ण करने के लिए भी विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया है।

समीक्षा में उन्होने पाया कि मण्डल में कुल 384 परियोजनाओं का निर्माण कार्य संचालित है, जिसके सापेक्ष 72 परियोजनाए पूर्ण हो गयी है। इसकी कुल लागत रू0 2399 करोड़ के सापेक्ष रू0 1535 करोड़ अवमुक्त हो गया है। इसके सापेक्ष रू0 1373 करोड़ व्यय किया जा चुका है, जो 89 प्रतिशत है। अनारम्भ परियोजनाओं की संख्या 18 है। मण्डलायुक्त ने इनका भी निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है, (इसमें सड़क निर्माण संबंधी परियोजनाए शामिल नही है)।

समीक्षा में उन्होने पाया कि कुल 9494 माइलस्टोन में से 6595 माइलस्टोन पूर्ण किए गये है। दिसम्बर माह में 319 के सापेक्ष 258 माइलस्टोन प्राप्त करने पर उन्होने असंतोष व्यक्त किया। उन्होने निर्देश दिया है कि समय से उपभोग प्रमाण पत्र विभागों को उपलब्ध कराये ताकि वहॉ से अगली किश्त जारी होने में विलम्ब ना हों। उन्होने पूर्ण निर्माण परियोजनाओं को समय से विभाग को हस्तांतरित कराने के लिए निर्देशित किया है।

मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया है कि सीएम–डैशबोर्ड पर निर्माणाधीन परियोजनाओं की रिपोर्ट प्रतिमाह समय से अपलोड की जाय। विभागीय अधिकारी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समय–समय पर निरीक्षण करें ताकि कमियों को समय से दूर किया जा सकें। उन्होने सड़क, पुल, त्वरित आर्थिक विकास योजना, पूर्वांचल विकास निधि, राज्यांश तथा जिलान्श के कार्यो की समीक्षा किया। उन्होने निर्देश दिया है कि अब मौसम अनुकूल हो रहा है। अतः सड़क निर्माण कार्यो को तेजी से पूरा कराया जाय।

बैठक का संचालन उप निदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अंसारी ने किया। इसमें अपर आयुक्त प्रशासन राजीव पाण्डेय, सीडीओ जयदेव सीएस, संतकबीर नगर संत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, जेडीसी पद्मकान्त शुक्ला, संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, प्रभारी अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. ए. के. वर्मा, माध्यमिक शिक्षा डा. ओमप्रकाश मिश्र, एडी बेसिक संजय शुक्ल, अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी राजेश कुमार, विद्युत के रामदास तथा कार्यदायी संस्थाओं के अधिशासी अभियन्ता एवं परियोजनाधिकारीगण उपस्थित रहें।

अंतरिम बजट पर टिकी हैं निगाहें, लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद

नई दिल्ली (आभा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी गुरूवार को अपना छठा आम बजट पेश करेंगी। हालांकि, चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट होगा। ये सीतारमण का पहला अंतरिम बजट भी होगा। लोकसभा चुनाव में कुछ माह शेष होने के चलते सरकार इस बजट में कई बड़ी लोकलुभावन घोषणाएं भी कर सकती है। इन घोषणाओं में सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का भी एलान हो सकता है। वहीं अंतरिम बजट में युवा, महिलाओं और किसानों पर फोकस देखने को मिलेगा।

केन्द्रीय आम बजट गुरुवार को संसद में पेश किया जाएगा। इस बजट का असर हर आम से खास व्यक्ति पर पड़ता है।सीतामढ़ी के लोगों को भी आम बजट से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि की तरह सीता जन्मभूमि का विकास हो, यह लोगों की जुबां पर है।

बजट भाषण का लाइव प्रसारण डीडी न्यूज पर देख सकते हैं। इसके अलावा डीडी नेशनल पर भी लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है। अगर आप फोन में लाइव देखना चाहते हैं, तो आप डीडी न्यूज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर सबसे पहले अंतरिम बजट की तैयारी करने वाली अपनी पूरी टीम के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वो 8 बजकर 45 मिनट पर राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी। सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर वित्त मंत्री संसद पहुंचेंगी और 10 बजे कैबिनेट बैठक में इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अपना पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी। सीतारमण इससे पहले 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। वित्त मंत्री के इस बार के बजट के पिटारे से कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।

अंतरिम बजट में सरकार नए ऐलान करने के लिए स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले अंतरिम बजट यानी 2019 में पीएम–किसान सम्मान निधि स्कीम का ऐलान किया था।

शिक्षक संघ की बैठक में बनी महाहड़ताल की रणनीति

–एकजुट न हुये तो टूट जायेगी बुढापे की लाठी– उदयशंकर शुक्ल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक बीआरसी परसुरामपुर में संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल की अध्यक्षजा में सम्पन्न हुई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशन बहाली संयुक्त मंच 'एन.जे.सी.ए.' राष्ट्रीय नेतृत्व के आवाहन पर होने वाली महाहड़ताल की तैयारियों पर विचार किया गया।

बैठक में संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने उपस्थित शिक्षकों को महाहड़ताल में शत प्रतिशत शामिल होने की शपथ दिलायी गयी। श्री शुक्ल ने कहा कि पुरानी पेंशन बुढापे की लाठी है। अब आर–पार के संघर्ष का समय आ गया है इस बार चूके तो पेंशन हासिल करना मुश्किल हो जायेगा। बताया कि महाहड़ताल में एकजुटता के लिये संगठन द्वारा विकास क्षेत्रवार वीआरसी केन्द्रों पर बैठक कर शिक्षकों को एक जुट किया जा रहा है। यह क्रम जनपद के सभी बीआरसी केन्द्रों पर चरणबद्ध ढंग से चलेगा।

बीआरसी परसुरामपुर में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से सतीश शंकर शुक्ल, देवेन्द्र वर्मा, दिनेश कुमार वर्मा, अवनीश तिवारी, रक्षाराम वर्मा, पंच बहादुर यादव, विकास पाण्डेय, धर्मेन्द्र कुमार, अरविन्द कुमार, सुनील कुमार पाण्डेय, रविन्द्रनाथ, विवेकानन्द, शोभाराम वर्मा, राधेश्याम, भरतराम, कमलेन्द्र शुक्ल, रक्षाराम वर्मा, प्रतिभा निषाद, जसवंती देवी, रूचि, शारदा देवी, विलकिस, उर्मिला त्रिपाठी, देवेन्द्र कुमार, धनपाल, विष्णु कुमार, रामजीत वर्मा, अभिराम वर्मा, रामकुमार, विजय कन्नौजिया, कुलदीप मौर्य, वेद प्रकाश, अखिलेश नारायण, अभिनव मिश्र, श्रीराम यादव, हरिश्चन्द्र यादव, सुनील कुमार, सन्तोष तिवारी के साथ ही अनेक शिक्षक शामिल रहे।

समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने दिया धरनाः नगर पालिका टैक्स लेती है तो देनी होगी सुविधा- आनन्द राजपाल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। 16 अक्टूबर को ज्ञापन देकर नगरपालिका क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग करने के बाद व्यापारियों ने आज नगरपालिका गेट पर धरना दिया। बताया गया कि पूर्व में दिये गये ज्ञापन को नगरपालिका प्रशासन ने बिलकुल गंभीरता से नही लिया। छाती पर चढ़कर व्यापारियों से टैक्स लेकर देय सुविधाओं से मुह मोड़ना बिलकुल नही चलेगा। इसके लिये आरपार का संघर्ष होगा। सदर तहसीलदार वीरबहादुर सिंह ने व्यापारियों से ज्ञापन प्राप्त किया।

बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष आनंद राजपाल ने कहा नगरपालिका चुनाव के दौरान हमने वादा किया था कि हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतकर आया तो हर महीने श्वेत पत्र जारी कर आय व्यय का ब्योरा देंगे और यदि हमारा प्रत्याशी चुनाव नही जीता तो जो भी आयेगा उसे पाई पाई का हिसाब देते हुये जनसुविधायें मुहैया करानी होंगी। लेकिन नगरपालिका ने मनमाना किराया बढ़ा दिया, रजिस्ट्रेशन पर व्यापारियों का उत्पीड़न शुरू हो गया, पार्किंग सुविधा नही है, रोड लाइटें खराब पड़ी हैं, छुट्टा पशुओं और सड़क के गड्ढों से मुक्ति नही मिली। आनंद राजपाल ने कहा व्यापारी निरीह नही रहा, अपना हक छीन लेने की कूबत व्यापारियों में है। उन्होने व्यापारियों का आवाह्न करते हुये कहा 'तुम मुझे समय दो मै तुम्हे समाधान दूंगा'।

महामंत्री सूर्यकुमार शुक्ल ने कहा व्यापारी टकराहट नही चाहता लेकिन नगरपालिका का भ्रष्ट प्रशासन इसके लिये मजबूर कर रहा है। नतीजा जो भी हम टैक्स देते हैं तो सुविधायें भी चाहते हैं। प्रशासन ये धारणा बदल ले कि हम व्यापारी आंख मूंदकर सबकुछ देखते रहेंगे। उन्होने लाइसेंस शुल्क समाप्त करने, अवैध तरीके से लागू किये गये हाउस टैक्स वाटर टैक्स की पिछले वर्षों से वूसली वापस लेने, दुकानों के किराये में मनमाना वृद्धि वापस लेने, पार्किंग की समुचित व्यवस्था प्रदान करने, छुट्टा जानवरों, गड्ढों वाली सड़कों तथा अतिक्रमण से निजात दिलाने, बगैर नोटिस दुकानों को न उजाड़ने तथा समस्याओं के निदान के लिये व्यापारी सेल का गठन करने की मागें प्रमुखता से उठाई गईं।

धरने को धरने को मीडिया जिला प्रभारी अशोक श्रीवास्तव, डब्बू श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष प्रभात सोनी, सुनील कुमार गुप्ता, आशुतोष पाण्डेय तथा अरूण कुमार सिंह ने भी सम्बोधित किया। धरने का सफल बनाने में अदालत प्रसाद, राना प्रताप सिंह, नीरज कसौधन, अश्वनी कुमार, सतीश सोनकर, बैजनाथ अग्रहरि, हर्षित अग्रवाल, शरद कुमार सोनी, देवेन्द्र श्रीवास्तव, शेषनरायन गुप्ता, तमसीर हसन, माजिद खान, नोमान अहमद, ऋषभ गुप्ता, परशुराम, रविन्द्र कश्यप, अभय सिंह, संजय जायसवाल, पवन शुक्ला, अमर सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव, विकास गुप्ता, विवेक सोनी, विजय जायसवाल, झिनकान प्रसाद, संजय कुमार, रितेश, विद्यासागर गुप्ता, प्रेमचन्द, गौरीशंकर सहित तमाम व्यापारियों का योगदान रहा।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 1 फरवरी 2024 गुरूवार

सम्पादकीय

ज्ञानवापी समाधान की ओर

ज्ञानवापी के दक्षिणी हिस्से में बने व्यास जी के तहखाने में हिन्दू पक्ष को पूजा—पाठ की इजाजत मिल गई है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने डीएम को सात दिन के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा—पाठ के प्रबंध करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से रखे गये पुजारी यहां पूजा करेंगे। पूजा के लिए लोहे के बाड़ हटाकर रास्ता देने के लिए भी डीएम को आदेश किया गया है। पिछले ही हफ्ते अदालत के आदेश पर व्यास जी के तहखाने की चाबी डीएम ने अपने कब्जे में ली थी। हिन्दू पक्ष के वकील आज के फैसले को राममंदिर का ताला खुलवाने जैसा मान रहे हैं। इस तहखाने पर 1993 से पहले पूजा पाठ होती थी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद ज्ञानवापी के चारों तरफ प्रशासन ने लोहे की बैरिकेडिंग कर दी थी। इससे तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया था और पूजा पाठ भी बंद हो गई थी।

काशी विश्वनाथ मंदिर में बने नंदी के ठीक सामने स्थित ज्ञानवापी के इस तहखाने में 1993 से पहले सोमनाथ व्यास का परिवार नियमित पूजा पाठ करता था। लोहे की बैरिकेडिंग लगने से वहां आना—जाना बंद हो गया और पूजा पाठ भी बंद हो गई थी। पिछले साल जब ज्ञानवापी में स्थित शृंगार गौरी में पूजा की इजाजत समेत कई मामले दाखिल हुए तो तहखाने में भी दोबारा पूजा पाठ के लिए व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास ने अदालत से गुहार लगाई थी।

उन्होंने याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गई। वर्तमान में यह तहखाना अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पास है। तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां दोबारा पूजा शुरू करने की अनुमति दी जाए। अदालत के 17 जनवरी को डीएम को तहखाने को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। इसके बाद 24 जनवरी को तहखाना डीएम ने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था।

मंगलवार को भी इस पर सुनवाई हुई और नियमित पूजा पाठ की मांग का विरोध करते हुए मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए दलील दी कि अदालत ने केवल रिसीवर नियुक्त करने का जिक्र किया है। उसमें पूजा अधिकार का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए वाद को निस्तारित मानते हुए खारिज किया जाए।

ज्ञानवापी सर्वे की एएसआई रिपोर्ट चार खंड में है। पहले खंड में 137 पेज हैं। इसमें स्ट्रक्चर और ब्रीफ फाइडिंग ऑफ सर्वे रिपोर्ट है। दूसरे खंड में पेज संख्या 1 से 195 तक साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट है। तीसरे खंड में पेज नंबर 204 पर बरामद वस्तुएं का जिक्र है। चौथे खंड में तस्वीरे व डायग्राम हैं, जो 238 पेज में है। एक हजार फोटोग्राफ भी हैं।

ज्ञानवापी का 355 वर्ष पुराना विवाद एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से समाधान की राह पर आ गया है। ज्ञानवापी से संबंधित मां शृंगार गौरी मूल वाद की सुनवाई 14 जुलाई 2023 को पूरी कर ली थी। जिला जज की अदालत ने 23 जुलाई को आदेश सुनाया था। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में अदालत ने रडार तकनीक एएसआई से सर्वे कराने का आवेदन मंजूर किया था। साथ ही, एएसआई के निदेशक को सर्वे कराने के लिए आदेशित किया था।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वे रिपोर्ट 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्ववेश की अदालत ने सार्वजनिक कर दी है। जिसमें दावा किया गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई को सर्वे के दौरान इससे जुड़े कुल 32 सबूत मिले हैं। विष्णु जैन के अनुसार 839 पेज की इस रिपोर्ट में मंदिर के कई साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी में मसजिद से पहले बड़ा मंदिर था। दीवारों और स्तंभों पर भगवान शिव के तीन नाम जर्नादन, रुद्र और उमेश्वर भी लिखे मिले हैं। मसजिद के सारे पिलर मंदिर के ही थे। इसके अलावा मंदिर की पश्चिमी दीवार पर भी कई स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं , जो वहां मंदिर होने का खुलासा करते हैं। निष्कर्ष में बताया है कि वर्तमान ढांचा 2 सितम्बर 1669 के आसपास का है। उसके पूर्व वहां काफी प्राचीन मंदिर रहा होगा। जिसके साक्ष्य जीपीआर तकनीकी की जांच में सामने आये हैं। जीपीआर तकनीक में गुंबद के नीचे व कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं दिखाई दिया है। नीचे चार तरह के चैम्बर मिले हैं। जिसमें एक बीचोबीच, दूसरा उत्तर, तीसरा पश्चिम और चौथा दक्षिण में है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट्रल चैंबर के पास मुख्य प्रवेश द्वार और एक काफी प्राचीन मुड़ावदार ढांचा है। पश्चिम चौंबर और वॉल में जो बनावट की शैली उभरी है वह हिंदू मंदिर की है। नीचे मौजूद खंभों पर दोबारा ढांचा बनाया गया है। ये पूरी तरह तय है कि वर्तमान ढांचा किसी दूसरे ढांचे के ऊपर बनाया गया है। पुराना ढांचा मंदिर शैली की बनावट वाला है। इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि भोले बाबा मिल गए हैं। एएसआई ने माना कि ये एक पुराना ढाँचा है, जिसके ऊपर नया स्ट्रक्चर बनाया गया है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई ।

जिला अदालत ने 25 जनवरी 2024 की रात दस बजे काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी।हिंदू याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में दावा किया था कि 17वीं सदी की इस मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था। इसके बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई ने 18 दिसंबर 2023 को सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंप दी थी।

अदालत में 33 वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही है। 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ का केस दाखिल हुआ था। एएसआई के विशेषज्ञों की टीम ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर और नवंबर 2023 तक ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम किया है। सील वजूखाने को छोड़कर परिसर के कोने—कोने से साक्ष्य जुटाए गए हैं। मिट्टी की जांच की गई। दीवारों पर बने प्रतीक चिन्ह की फोटो, वीडियोग्राफी कराई गई। यह भी देखा गया कि प्रतीक चिन्ह किस सदी में बने हैं।ज्ञानवापी के तहखानों से तमाम साक्ष्य मिले हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिये कि अब ज्ञानवापी का समाधान निकलेगा। मुस्लिम पक्ष को भी उदारता का परिचय देते हुये इतिहास की भूलों को सुधारने में सहयोग करना चाहिये।

पलटूरामों के रहमोकरम पर लोकतंत्र

—विश्वनाथ सचदेव—

आधी सदी से कुछ ज़्यादा ही पुरानी बात है। हरियाणा के पलवल चुनाव क्षेत्र से 1967 में गया लाल नामक उम्मीदवार ने चुनाव जीता था। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने के तत्काल बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर एक दिन के भीतर—भीतर उन्होंने तीन बार पाला बदलादृ कांग्रेस से जनता पार्टी में, फिर वापस कांग्रेस में और फिर जनता पार्टी में। इसी 'खेल' में जब उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के समक्ष पेश किया गया तो सम्बन्धित नेता ने कहा था 'गया राम अब आया राम हो गये है'। तभी से दल बदलुओं के लिए एक मुहावरा बन गया।

आज जिस संदर्भ में यह चर्चित किस्सा याद आ रहा है, उसका सम्बंधा 'दल बदल' से तो नहीं, पर 'सरकार—बदल' से जरूर है। और इस प्रक्रिया में गया राम को पलटूराम की संज्ञा दी गयी है। बिहार की महागठबंधन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। डेढ़ साल पहले ही वे अपने दल जदयू के साथी दल भाजपा का दामन छोड़कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिले थे, मिलकर सरकार बनायी थी। तब उन्होंने कसम खायी थी कि मर जाऊंगा पर भाजपा के साथ फिर नहीं जाऊंगा। उस कसम का क्या हुआ, वही जानें, पर नीतीश कुमार आज फिर यह कह कर भाजपा के साथ हो गये हैं कि 'अब इधर—उधार नहीं जाना है'। इधर—उधर से उनका क्या मतलब है, यह बात समझना भी आसान नहीं हैं। उनका इतिहास बताता है कि वे कब पलटी खा जाएं, पता नहीं। हां, अब इतना सबको पता है कि 'गया राम' की तरह ही 'पलटू राम' भी भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया है। भारत का जागरूक नागरिक इन पलटू रामों से पूछ रहा है— 'यह बता कि काफिला क्यों लुटा?' और यदि नहीं पूछ रहा है तो उसे पूछना चाहिए यह सवाल। विडम्बना यह भी है कि हमारे नेता, चाहे वे किसी भी रंग के क्यों न हों, इधर—उधर की बात करके मतदाता को भरमाने में महारत हासिल कर चुके हैं। झूठे वादे और दावे उनके लिए किसी भी प्रकार की शर्म का कारण नहीं बनते। मतदाता को भले ही कभी इस बात पर शर्म आ जाये कि उसने दल बदलू या पलटूराम का समर्थन क्यों किया था, पर हमारा नेता इस बात की कोई आवश्यकता नहीं समझता कि वह अपने मतदाता को बताये कि उसने जो कुछ किया है, वह क्यों किया है। विडम्बना यह भी है कि हमारी राजनीति में राजनीतिक शुचिता के लिए शायद ही कहीं कोई स्थान बचा है।

जनतंत्र एक ऐसी शासन—व्यवस्था है जिसमें शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घोषित नीतियों और दावों—वादों के अनुरूप कार्य करेगा। हां, चुनावों से पहले ऐसा करने की घोषणाएं जरूर की जाती हैं, पर फिर बड़ी आसानी से उन्हें भुला दिया जाता है। मान लिया जाता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है!

जनतंत्र का तकाजा है कि जनता अपनी यादघ्दाश्त मजबूत बनाये रखे। तभी जनतंत्र सफल हो सकता है, और सार्थक भी। 'जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा' जो सरकार बनती है, उसकी सफलता—सार्थकता का आधार यही है कि जनता अनवरत सजग रहेदृ न केवल अपने नेताओं की कथनी—करनी को लेकर, बल्कि अपने अधिकारों—दायित्वों के प्रति भी। इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या हमें किसी 'गयाराम' या 'पलटूराम' से उसके किये—करे की कैफियत नहीं पूछनी चाहिए?

जनतंत्र में राजनीति के खिलाड़ी अपनी घोषित—नीतियों, वादों और दावों के आधार पर चुनाव जीतते—हारते हैं। भले ही हमेशा ऐसा हो नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि चुनाव नीतियों के आधार पर ही होते हैं। माना यह भी जाता है कि चुनाव जीतने वाला इन नीतियों के अनुसार अपना आचरण रखेगा। अपनी घोषित नीतियों पर टिका रहेगा। पर ऐसा अक्सर होता नहीं। अक्सर राजनेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनतंत्र की मूल भावना के साथ छल करते दिखाई देते हैं। दल—बदलुओं का आचरण इसी का उदाहरण है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को राजनीति की विवशता कहना—मानना वस्तुतरू जनता के साथ विश्वासघात ही है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हमारे देश में ही होता है। लेकिन यह कहकर कि दुनिया के अन्य कई जनतांत्रिक देशों में भी यह 'बीमारी' है, हम अपनी बीमारी की गम्भीरता को कम नहीं आंक सकते। इसीलिए हमने लगभग चालीस साल पहले दल—बदल कानून की आवश्यकता को समझा था और 52वें संशोधन के तहत यह कानून बनाया गया था। फिर सनघ् 2003 में 91वें संशोधन के तहत इस कानून को कुछ और ताकतवर बनाया गया। पर बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं हो पाया। लेकिन इलाज तो करना होगा। लेकिन कैसे?

इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है। लेकिन जनतंत्र की सफलता का तकाजा है कि इलाज की कोशिशें जारी रहें। यह अपने आप में एक विडम्बना ही है कि ऐसी कोशिशों के तहत जिस दिन लोकसभा के अध्यक्ष ने दलबदल—विरोधी कानून पर पुनर्विचार करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक समिति गठित करने की घोषणा की, उसी दिन बिहार के 'सुशासन बाबू' ने अपनी गठबंधन की सरकार का त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया और वहां नयी सरकार बन गयी! न नीतीश कुमार को इस बात की कोई चिंता थी कि इससे उनकी छवि खराब होगी और न ही दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा ने यह सोचा कि नीतीश कुमार को फिर से अपने साथ लेकर वह एक अनैतिक काम कर रही है!

हकीकत तो यह है कि अब हमारी राजनीति में नैतिकता के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं है। सत्ता ही हमारी राजनीति के केंद्र में है। गांधी ने सेवा के लिए राजनीति की बात कही थी। अब न उस बात को सुना जा रहा है, न याद रखने की कोई आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अच्छी बात है कि दल—बदल कानून पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की गयी है। देखना होगा कि पुनर्विचार कब और कैसे होता है। लेकिन ऐसे किसी कानून से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जनतंत्र के नागरिक के मन में इस बात का जगना कि 'आया राम गया राम' का उदाहरण किसी व्यक्ति ने प्रस्तुत किया हो या राजनीतिक दल ने, यह पूरी जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ बेईमानी है। यह सच है कि ऐसा करते हुए 'शर्म उनको मगर नहीं आती', पर जागरूक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह शर्म महसूस न करने वालों को शर्म दिलाने की कोशिश लगातार करता रहे। कहीं कोई ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जिसमें हमारे निर्वाचित नेता संविधान की शपथ लेने के साथ—साथ मतदाता के प्रति निष्ठा की भी शपथ लें।

—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

कांग्रेस की यात्रा के निहितार्थ

—उमेश चतुर्वेदी—

कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में कोई समानता हो सकती है? सांप्रदायिकता और मोदी विरोध के नाम पर दोनों दल करीब दो दशक से साथ हैं। करीब ढाई दशक पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को केंद्र सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन पार्टी ने उसे नकार दिया। तो क्या कांग्रेस भी वैसी ही ऐतिहासिक भूल कर रही है? कांग्रेस को लेकर यह सवाल राजनीतिक हलकों में उसके हालिया कदम के बाद पूछा जा रहा है। रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस को बुलावा भेजा था। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को समारोह में शामिल होने का बुलावा मिला। इस समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस कुछ दिनों तक उहापोह में रही। आखिर में उसने इस समारोह के आमंत्रण को ही एक तरह से ठुकरा दिया। करीब ढाई दशक से कथित सांप्रदायिकता के इर्द—गिर्द राजनीतिक विमर्श चल रहा है, उसकी वजह से एक सियासी हलके के एक वर्ग को कांग्रेस का यह कदम ऐतिहासिक और मजबूत लग रहा है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, जिसे लगता है कि कांग्रेस ने इस आमंत्रण को ठुकरा कर ऐतिहासिक गलती की है।

इतिहास का प्रमाणित तथ्य है कि अयोध्या के विवादित ढांचे का ताला कांग्रेस ने ही खुलवाया। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए पलटने के बाद मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए सवालों के घेरे में आई तत्कालीन राजीव सरकार ने ताला खुलवाकर एक तरह से सियासी पासा फेका था। उसे ऐसा लगा कि कुछ महीनों बाद होने वाले आम चुनावों में इस दांव से नाराज पड़े हिंदू मतदाताओं को साधा जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनाव नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल भले ही बनी, लेकिन बहुमत की संख्या से काफी पीछे चली गई। तब शिलान्यास और ताला खुलवाने को कांग्रेस के अंदर की कट्टर सेकुलरवादी सोच ने गलत बताना शुरू किया। राममंदिर तब से कांग्रेस की नजर में सांप्रदायिकता का प्रतीक बनता चला गया।

लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कांग्रेस को फायदा मिला? लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक फैसलों का आकलन आखिरकार मतदान में मिले समर्थन से ही आंका जाता है। कांग्रेस में ही एक तबका ऐसा है, जिसे लगता है कि बाबरी ध्वंस हुए तीन दशक से ज्यादा हो गए। तब से लेकर अब तक सरयू में काफी पानी बह चुका है। इसलिए इस मुद्दे पर पार्टी को अलग रवैया अख्तियार करना चाहिए। हालांकि उस वर्ग की पार्टी में कम सुनी जाती रही। इसका ही नतीजा रहा कि सर्वोच्च न्यायालय में राममंदिर को लेकर जारी मुकदमे में विरोध में उतरे नेताओं ने राम को काल्पनिक पात्र बताने में हिचक नहीं दिखाई। मीर बाकी ने मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनवायी थी, उस तथ्य को भी कांग्रेस का प्रभावी तबका नकारता रहा। कांग्रेस के इस कदम को उत्तर भारत के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने चिढ़ाने के अंदाज में लिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका भी फायदा मिला। विगत दस सालों से केंद्र की सत्ता पर वह काबिज जिन वजहों से है, उसमें एक वजह यह भी है। लेकिन कांग्रेस के बौद्धिक सलाहकारों का प्रभावी तबका इस तथ्य को या तो समझ नहीं रहा है या फिर समझते हुए भी जानबूझकर नकार रहा है।

22 जनवरी के आयोजन को लेकर देशभर में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को लेकर जमीनी स्तर पर जिस तरह आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, वह सिर्फ सनातन आस्था का उभार का प्रतीक ही नहीं है। बल्कि यह उत्साह एक तरह से भावी चुनावों की बानगी भी पेश कर रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह आमंत्रण को ठुकराया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह जमीन पर जारी इस उत्साह को समझ नहीं पा रही है।

कांग्रेस का कदम उसकी उसी पारंपरिक राजनीति का विस्तार माना जा सकता है, जिसमें वह सांप्रदायिकता विरोध की राजनीति को धार देने का दावा करती रही है। जिसके जरिए वह अल्पसंख्यकवाद को ही पल्लवित और पुष्पित करती रही है। ध्यान देने की बात है कि ऐसा करने के बावजूद राममंदिर आंदोलन के उभार के बाद राजनीतिक संख्या बल के लिहाज से ताकतवर उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस का समर्थक आधार लगातार कमजोर होता चला गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तो भाजपा विरोध का उसकी बजाय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों को फायदा मिला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक वोटरों की पहली पसंद हैं। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें आती हैं। लेकिन कांग्रेस के पास महज दो सीटें ही हैं।

अतीत में उत्तर भारत में कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों के समीकरण से तैयार राजनीतिक रसायन से सत्ता का मुरब्बा तैयार करती रही है। लेकिन राममंदिर आंदोलन के बाद उसका ब्राह्मण वोट बैंक छिटक गया, जिन अल्पसंख्यकों के लिए समर्थन के लिए वह राममंदिर आंदोलन को सांप्रदायिकता की आंच में पकाती रही, वे अल्पसंख्यक भी उसके साथ नहीं रहे। मौजूदा दौर में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न हो पाने का सियासी नफा—नुकसान क्या हो सकता है, यह उत्तर की बजाय कांग्रेस के दक्षिण के क्षत्रप ज्यादा समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर उम्मीद दिखाने से परहेज नहीं किया।

बीते पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली। इसके बाद कांग्रेस ने नया नैरेटिव पेश किया। कांग्रेस का कहना था कि विंध्य के दक्षिण के मतदाताओं पर सांप्रदायिकता का असर नहीं होता। वे जमीनी मुद्दों पर मतदान करते हैं, जबकि उत्तर के मतदाता सांप्रदायिकता, धर्म और जाति पर मतदान करते हैं। हालांकि यह भी अधूरा सच ही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण के राज्य अब भी प्रश्न प्रदेश बने हुए हैं, इसलिए कांग्रेस ऐसी सोच रखती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दक्षिण के राज्यों के ही सहारे वह केंद्रीय राजनीति की धुरी बन सकती है? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। कांग्रेस को शायद यह लग रहा है कि अगर वह सांप्रदायिकता विरोध की जमीन पर खड़ी रहेगी तो सवर्ण मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अब भी ऐसा है, जो उसकी ओर खिंचा चला आ सकता है और अल्पसंख्यक वोटरों का समर्थन उसे थोक में मिल सकता है। हालांकि विगत दो—ढाई दशकों का चुनाव नतीजों के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। कांग्रेस के एक वर्ग का मानना है कि पार्टी आलाकमान को राममंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहिए था। उसे बताना चाहिए था कि राम सबके हैं। संयोग से भाजपा ने राम को लेकर यही नारा भी दिया है। प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर पार्टी राममंदिर पर भाजपा के स्टैंड में किंचित सेंध लगा सकती थी। कांग्रेस के ही एक धड़े का यह भी मानना है कि प्रतिष्ठा समारोह की बजाय पार्टी आलाकमान को अगले दिन राममंदिर के परिसर में अपने समर्थकों के साथ दर्शन का कार्यक्रम बनाना चाहिए था। कांग्रेस आलाकमान तब यह भी बयान दे सकता था कि राम उसके लिए राजनीति के माध्यम नहीं हैं, बल्कि उसके भी पूज्य हैं। पार्टी में ऐसी समझ रखने वाला तबका आलाकमान के फैसले से निराश है। उसे लगने लगा है कि जमीनी स्तर पर मंदिर को लेकर जारी उत्साह के चलते पार्टी का यह कदम उसे भारी पड़ सकता है। आखिर में एक बार सीपीएम से कांग्रेस की तुलना की बात..1996 में सत्ता को नकारने वाली सीपीएम ने बाद के दिनों में अपने उस कदम को ऐतिहासिक भूल करार दिया था।

बसपा के राजनीतिक समीकरण

—अजय कुमार—

जैसे—जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बसपा के नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी पार्टी क्या करेगी और उन्हें क्या करना चाहिए। दरअसल, बसपा नेताओं, खघसकर पार्टी के सांसदों की परेशानी विधानसभा चुनाव के समय से बढ़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एनडीए और इंडी गठबंधन से भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं जरूर तलाश रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे राज्यों की पार्टियों से बसपा का गठबंधन तय माना जा रहा है। सीटों की संख्या तय होने के साथ ही गठबंधन की घोषणा कर दी जाएगी।

बसपा नेताओं के मुताबिक, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो), जबकि छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी (गोगपा) से गठबंधन की बात अंतिम दौर में है। गठबंधन कर बसपा हरियाणा की छह सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस संबंधा में विभिन्न क्षेत्रीय दलों से बात कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मायावती ने आकाश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़कर दूसरे राज्यों में बसपा की ताकत बढ़ाने का जिम्मा सौंप रखा है। बसपा के इस समय कुल 10 सांसद हैं जो सभी यूपी से चुनाव जीते हैं। अन्य राज्यों से बसपा का एक भी सांसद नहीं है।

बसपा सुप्रीमो मायावती में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यह बदलाव मायावती के हाल के कई बयानों से भी साफ जाहिर होता है। मायावती अब उन राजनीतिक नारों से पीछा छुड़ाती दिख रही हैं, जिनके सहारे वे उत्तर भारत में दलितों और अति पिछड़े वर्गों यानि बहुजन समाज की शीर्ष नेता और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री भी बनीं। नब्बे के दशक में बसपा के चर्चित नारों से किनारा करते हुए अब मायावती कह रही हैं कि ये नारे तो समाजवादी पार्टी ने बसपा को बदनाम करने के लिए गढ़े थे। नारों की बात की जाये तो छह दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ध्वंस के बाद 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी के बीच ऐतिहासिक गठबंधन हुआ था। इस दौरान एक नारा खघूब चर्चित हुआ था, 'मिले मुलायम—कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम'। इस नारे का जिक्र करते हुए कुछ समय पूर्व मायावती ने ट्वीट किया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित की बजाय जातिद्वेष एवं अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना समाजवादी पार्टी का स्वभाव रहा है।

वह एक अन्य ट्वीट में कहती हैं कि अयोध्या, श्रीराम मंदिर और अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था वे बसपा को बदनाम करने की सपा की सोची समझी साजिश थी। अतः सपा की ऐसी हरकतों से खघसकर दलितों, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सखघ्त जरूरत है। पुराने नारों से पीछा छुड़ाने की मायावती की यह कोशिश दिखाती है कि वे भविष्य में बीजेपी में तरफ जा सकती हैं। ठीक उसी तरह जैसा वे पहले कर चुकी हैं, लेकिन अब उनके मुंह से 'मनुवादी' शब्द सुनने को नहीं मिलता जो पहले उनका प्रिय शब्द था। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि वे इस लाइन पर राजनीति करके अपनी पार्टी के लिए सफलता की उम्मीद कर रही हैं या उनके दिगाम में और कुछ चल रहा हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत मरहा विकास खण्ड बस्ती सदर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 01.02.2024 से 08.02.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 08.02.2024 सायं 2:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान-लालता प्रसाद यादव	सचिव/ग्रा.प्र.अ.-अखिलेश कुमार शुक्ला
ग्राम पंचायत-मरहा	ग्राम पंचायत-मरहा
विकास खण्ड बस्ती सदर, बस्ती	विकास खण्ड बस्ती सदर, बस्ती

पत्रांक मेमो /31.01.2024 वित्तीय वर्ष 2023–24

कार्यालय ग्राम पंचायत उमरिया विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 01.02.2024 से 08.02.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 08.02.2024 सायं 2:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान-ममता मिश्रा	सचिव/ग्रा.प्र.अ.-राजेन्द्र प्रसाद
ग्राम पंचायत-उमरिया	ग्राम पंचायत-उमरिया
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती	विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /31.01.2024 वित्तीय वर्ष 2023–24

कार्यालय ग्राम पंचायत कुसौरा विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 01.02.2024 से 08.02.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 08.02.2024 सायं 2:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान-अरूण कन्नौजिया	सचिव/ग्रा.प्र.अ.–फिरोज खान
ग्राम पंचायत-कुसौरा	ग्राम पंचायत-कुसौरा
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती	विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /31.01.2024 वित्तीय वर्ष 2023–24

कार्यालय ग्राम पंचायत बहादुरपुर विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 01.02.2024 से 07.02.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 07.02.2024 सायं 2:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान–इमरान	सचिव/ग्रा.प्र.अ.–फिरोज खान
ग्राम पंचायत- बहादुरपुर	ग्राम पंचायत- बहादुरपुर
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती	विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /31.01.2024 वित्तीय वर्ष 2023–24

कार्यालय ग्राम पंचायत कनैला विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 01.02.2024 से 07.02.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 07.02.2024 सायं 2:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान–नीलम	सचिव/ग्रा.प्र.अ.–शिव शंकर चौधरी
ग्राम पंचायत-कनैला	ग्राम पंचायत-कनैला
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती	विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /31.01.2024 वित्तीय वर्ष 2023–24

कार्यालय ग्राम पंचायत दयालपुर विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 01.02.2024 से 07.02.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 07.02.2024 सायं 2:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान–हरिश्चन्द्र	सचिव/ग्रा.प्र.अ.–शीतला प्रसाद यादव
ग्राम पंचायत- दयालपुर	ग्राम पंचायत- दयालपुर
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती	विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /31.01.2024 वित्तीय वर्ष 2023–24

सड़क किनारे मिला दीवान का शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाददाता–देवरिया। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के सिसवा दीक्षित गांव के बाहर दीवान का बुधवार की सुबह शव मिला। मृतक मंगलवार की रात अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने आया था। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के महूई संग्राम गांव निवासी मार्कंडेय मिश्रा (52) पुत्र राजकुमार मिश्रा बस्ती जिला में उत्तर प्रदेश पुलिस के दीवान पद पर कार्यरत थे। मंगलवार को ससुराल मनिहारी और बगल के गांव सिसवा दीक्षित में एक रिशतेदार के घर शादी थी। जिसमें शमिल होने अपनी पत्नी पुष्पा के साथ आए थे। बुधवार की सुबह उनका शव सिसवा दीक्षित गांव के बहार सड़क किनारे मिला। सूचना पर पहुंची पुष्पा ने उनकी पहचान की। जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी इस मामले में परिजनों ने कोई तहरीर नही दिया है।

छत के कुंडे से लटकती मिली युवती की लाश

संवाददाता–बहराइच। आधी रात के बाद युवती का शव घर के कमरे में छत के कुंडे से साड़ी के फंदे से लटकता मिला। जिससे ससुरालवालों में कोहराम मच गया। मायके वाले भी पहुंच गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लाश पोस्टमार्टम को भेज दिया है। विशेश्वरगंज थाने के अमकोलवा के मजरे रामजस गोसाईं पुरवा निवासिनी 24 वर्षीय अनीता देवी पत्नी अन्नू कुमार की लाश मंगलवार रात दो बजे घर के कमरे में छत के कुंडे से साड़ी के फंदे से लटकती मिली। अन्नू कुमार शौच को बाहर गया था। जब वह घर आया, तो पत्नी की लाश लटकती देखकर उसके होश उड़ गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अन्नू कुमार दूसरे प्रांत में रहकर नौकरी करता था, कुछ दिन पूर्व ही वह घर आया था। वह फिर वहां जाकर काम करने की तैयारी कर रहा था। इसी बात को लेकर पति–पत्नी में कहा सुनी हुई थी। पत्नी का कहना था कि होली के बाद जाना, किन्तु पति जल्दी ही बाहर जाने की बात को लेकर तकरार हुई थी। घटना की जानकारी अन्य परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। मृतका के मायके वालों को जानकारी दी गई, तो वह भी पहुंच गए। मृतका की मां की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी मामला दर्ज कर लाश पोस्टमार्टम को भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंच कर जांच की है। प्रभारी थानाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट आने पर मौत की वजह स्पष्ट होगी।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0
अदालत– श्रीमान तहसीलदार रूधौली जिला–बस्ती

सतीअनुसुइया
बनाम
बृजलाल आदि

सतीअनुसुइया पत्नी राधेश्याम ग्राम जोधीजोत तप्पा उमरा परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला–बस्ती

तारीख पेशी 06–02–20224

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 06 माह 02 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 18 माह 01 सन 2024 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्आलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0 80/1985

पलझन आदि
बनाम
गनेश सिंह आदि

2/1 राजपति देवी पत्नी कमल सिंह 3/1 राजेश सिंह पुत्र राम मिलन सिंह 3/2 रोहित सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह 3/3 रिषभ सिंह पुत्र छोटे सिंह 4/1 भानू सिंह 4/2 धीरेन्द्र सिंह पुत्रगण पहलवान सिंह 5/1 उदयराज सिंह पुत्र फौजदार सिंह 5/2 सुरेश 5/3 भीम सिंह 5/4 नन्हें 5/5 सुरजीत पुत्रगण कुंवर बहादुर सिंह 7/1 राम बक्स सिंह पुत्र गया प्रसाद 7/2 विद्या उर्फ दत्तम देवी पत्नी स्व0 रामकेवल सिंह 7/3 विजय प्रकाश सिंह पुत्र राम अवतार उर्फ राम अवध सिंह 8/1 महेन्द्र 8/2 योगेन्द्र पुत्रगण पारस सिंह 9/1 जयपाल सिंह 9/2 धर्मपाल सिंह 9/3 सतपाल सिंह 9/4 चन्द्र पाल सिंह पुत्रगण स्व0 महात्मा सिंह 11/1 विनय 11/2 भोलू 11/3 सन्नी सिंह पुत्रगण राम सेवक 15/1 श्रीमती शीला सिंह पत्नी समरजीत 15/2 सोनू 15/3 मोनू पुत्रगण समरजीत 16/1 अनिल 16/2 सुनील 16/3 सुशील पुत्रगण इन्द्रजीत साकिनान मौजा डिंगरापुर तप्पा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 07–02–2024

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 07 माह 02 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0 459/2014

सूर्य प्रकाश
बनाम
रामसुगन आदि

1. राम सुगन उम्र करीब 45 साल 2. प्रेमलाल उर्फ प्रेमराम उम्र करीब 35 साल 3. रामशब्द उम्र करीब 53 साल पुत्रगण दयाराम 4. दिनेश उम्र करीब 32 साल पुत्र रामशब्द साकिनान मौजा बैजलपुर तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 20–02–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 20 माह 02 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत कर्मी बुजुर्ग विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 01.02.2024 से 08.02.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 08.02.2024 सायं 2:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्ते एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान–हीना खातून
ग्राम पंचायत- कर्मी बुजुर्ग
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

सचिव/ग्रां.प्र.अ.–वीरेन्द्र कुमार
ग्राम पंचायत- कर्मी बुजुर्ग
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /31.01.2024 वित्तीय वर्ष 2023–24

कार्यालय ग्राम पंचायत कैथवलिया विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 01.02.2024 से 07.02.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 07.02.2024 सायं 12:30 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्ते एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान–सन्तराम
ग्राम पंचायत- कैथवलिया
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

सचिव/ग्रां.प्र.अ.–वीरेन्द्र कुमार
ग्राम पंचायत- कैथवलिया
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /31.01.2024 वित्तीय वर्ष 2023–24

कार्यालय ग्राम पंचायत कन्हौली विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल ह्यूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 01.02.2024 से 07.02.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 07.02.2024 सायं 12:30 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्ते एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान–सौरभ कुमार
ग्राम पंचायत- कन्हौली
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

सचिव/ग्रां.प्र.अ.–दयानंद वर्मा
ग्राम पंचायत- कन्हौली
विकास खण्ड बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /31.01.2024 वित्तीय वर्ष 2023–24

क्रय केंद्र बनाने में मनमानी की सीएम से शिकायत, जांच में पुष्टि

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत जिले में क्रय केंद्र बनाने का खेल लंबे समय से चल रहा है पर इसकी पोल मुख्यमंत्री से शिकायत होने के बाद खुली। जिला सहकारी संघ (डीसीएफ) और क्रय विक्रय सहकारी समिति के बोर्ड के बगैर अनुमोदन के ही पीसीएफ की तरफ से 37 धान खरीद केंद्र बना दिए गए। सीएम से शिकायत के बाद एडीएम ने जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। एक तरफ जहां जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने खाद्य एवं रसद आयुक्त को रिपोर्ट भेजी दी है दूसरी तरफ अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता बी.चंद्रकला ने जिला सहायक निबंधक सहकारिता, पीसीएफ एवं यूपीएसएस के दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम को पत्र भेजा है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री एवं डीएम से घशिकायत की थी। आरोप लगाया था कि बिना डीसीएफ और क्रय विक्रय सहकारी समिति तेतरी बाजार बोर्ड के अनुमोदन के ही पीसीएफ ने क्रय केंद्र बना दिया है। इसके पक्ष में उन्होंने डीसीएफ अध्यक्ष अजय कुमार उपाध्याय व क्रय विक्रय समिति के कुसुम सिंह के पत्र का भी जिक्र किया है। उन्होंने बिना अनुमोदन के ही डीसीएफ के 33 और क्रय विक्रय समिति के चार क्रय केंद्र बनाने का आरोप लगाया है। इसकी जांच एडीएम उमाशंकर ने की जिसमें डीसीएफ बोर्ड के अनुमोदन की औपचारिकता पूर्ण नहीं कराए जाने की पुघष्टि हुई है। जांच में औपचारिकता पूर्ण कराए बिना ही तत्कालीन डीएम से इन क्रय केंद्रों को खोलने की अनुमति ले ली गई। जिसके लिए सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहघ्कारिता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। डीएम ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी। अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद डॉ. विपिन कुमार मिश्र ने 14 दिसंबर 2023 को आयुक्त व निबंधक सहकारी समितियां को संबंघधित मामले में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इसके बाद अभी भी कार्रवाई होने की जानकारी नहीं मिल सकी है।

अवध में जन्मे राम, पर नृत्य प्रस्तुत कर लूटी वाहवाही

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले में चल रहे कबीर मगहर महोत्सव में लखनऊ के धीरेंद्र पांडेय एंड ग्रुप ने कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति की। अवध में जन्मे राम... पर खूबसूरत भाव नृत्य प्रस्तुत किया। जिसे देख दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। इस दौरान एडीएम जयप्रकाश ने संस्था के सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत कलाकारों ने गणेश वंदना के साथ की। तत्पश्चात अवध में जन्मे राम गीत पर खूबसूरत भाव नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को भक्ति का रसपान कराया। इसके बाद 'एक राधा एक मीरा... और 'मेरा मन गंगा... गीत पर भाव नृत्य प्रस्तुत किया। 'मेरे घर राम आये हैं... पर भाव नृत्य कर श्रोताओं को भगवान राम की याद में डुबो दिया। इसके बाद कलाकारों ने राधा–कृष्ण बनकर बहुत खूबसूरत डांडिया नृत्य कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,

निविदा आमंत्रण सूचना

पत्रॉक:182 /वि0पा0मं0 (ब0)/ निविदा सं0 21/2023–24
दिनॉकः 31–01–2024

निविदा सं0 21/वि0पा0मं0(ब0)/2023–24 जो अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड–द्वितीय, बस्ती, मुख्यालय –सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत प्रेषण उपखण्ड–प्रथम, नौगढ़/द्वितीय, बांसी के सरकारी कार्यों के उपयोग हेतु एक अदद डीजल जीप/मार्शल/बोलेरो माडल 2017 से 2023 तक चालक सहित 12 माह के लिये किराये पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 04–03–2024 समय 12:00 बजेतक एवं निविदा खुलने की तिथि 04–03–2024 समय 14:00 बजे। यदि किसी कारण निविदा के खुलने की तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को नियत समय पर खोली जायेगी। उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र विद्युत पारेषण मण्डल, बस्ती के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 590:00 एवं धरोहर धनराशि रू0 3000.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से UPSEB Electricity Trans. Division Basti के खाता सं0 0587002100008030 पंजाब नेशनल बैंक, गांधी नगर, बस्ती के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त निविदा के किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

"स्वय एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें"

आर0 के0 बंशी,
अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत पारेषण मण्डल, बस्ती।
दिनांकः– 31/01/2024

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0 522/2022

घनश्याम
बनाम
अमित आदि

1. अमित उम्र लगभग 27 साल पुत्र स्व0 श्याम नरायन 2. श्रीमती माधवी उम्र लगभग 53 साल पत्नी स्व0 श्याम नरायन 3. अंजली उम्र लगभग 30 साल 4. अयूषी उम्र लगभग 25 साल पुत्रीगण स्व0 श्याम नरायन निवासीगण मौजा अमरौना तप्पा जगरनाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 20–03–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 20 माह 03 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

प्रधान के भाई से मारपीट के आरोपी गए जेल

संवाददाता–गोरखपुर। खजनी क्षेत्र के खुटभार गांव के प्रधान अर्जुन जायसवाल के बड़े भाई शत्रुघ्न जायसवाल को पीटकर अधमरा करने के आरोपी पकड़े गए। दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की कोशिश और बलवा का केस दर्ज करके पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां से उनको जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश था। ग्राम प्रधान और अन्य संगठनों के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से कर रहे थे। बताया जाता है कि आरोपी पहले भी कई लोगों से मारपीट कर चुके हैं।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0 122/2023

प्रभात कुमार
बनाम
अमर बहादुर आदि

1. अमर बहादुर उम्र लगभग 65 साल 2. चन्द्रभूषण उम्र लगभग 55 साल पुत्रगण स्व0 रमाशंकर 3. दुर्गा प्रसाद उम्र लगभग 60 साल 4. सत्य प्रकाश उम्र लगभग 55 साल 5. विजय प्रकाश उम्र लगभग 45 साल पुत्रगण स्व0 हरिहर प्रसाद 6. जड़ावती उम्र लगभग 65 साल पुत्री श्रीराज 7. अनिरूद्ध उम्र लगभग 55 साल 8. राधेश्याम उम्र लगभग 52 साल पुत्रगण कवलराज निवासीगण ग्राम पाऊॅ तप्पा कनैला परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 20–03–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 20 माह 03 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0 बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0 52/2018

सोना देवी
बनाम
सुरेन्द्र आदि

1/1 रणविजय पुत्र सुरेन्द्र ग्राम गौरा तप्पा मसिना परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 28–03–2024

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 28 माह 03 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं. 04/2024
धनराजी देवी –सायलान

1. धनराजी देवी उम्र 63 वर्ष पत्नी स्व0 रामसेवक सिंह 2. निरपेश कुमार सिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 रामसेवक सिंह निवासी ग्राम डिंगरापुर मुस्तहकम तप्पा ऊॅजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 20–03–2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 20–03–2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

कार्यालय नगर पालिका परिषद महराजगंज, जनपद–महराजगंज

स्वच्छ महराजगंज, सुन्दर महराजगंज

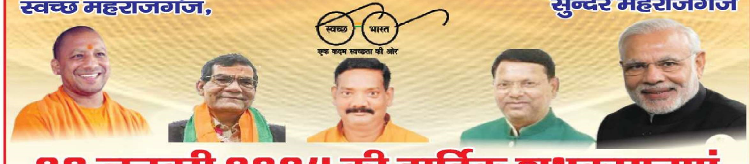

26 जनवरी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं

गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर नगर के विकास का नया इतिहास रचने का संकल्प लेकर नगरवासियों को समस्या मुक्त जिंदगी का हक दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगें।

विकास के पथ पर अग्रसर नगर पालिका परिषद महराजगंज अपने नगरवासियों को गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उच्चतम स्थान दिलाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निम्न अपील करती है-

अपील

1. स्वच्छ सर्वेक्षण–2024 में प्रतिभाग करें और सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर अपने शहर को उच्च स्थान दिलायें।
2. नगर को स्वच्छ रखने हेतु कूड़े को इधर–उधर न फेंके, उसे कूड़ेदान में ही डालें।
3. डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन में हरे कूड़ेदान में गीला कचरा व नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा डालें।
4. शादी–विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर मोबाइल शौचालय का प्रयोग करें।
5. गीले कचरे से खाद बनाकर होम कम्पोस्टिंग अपनाएं।
6. गृहकर / जलकर / जल मूल्य के बकाया करों की अदायगी समय से करें।
7. जन्म एवं मृत्यु की सूचना कार्यालय में 21 दिन के अन्दर दें।
8. नगर पालिका की भूमि, नाला, नाली, पोखरियों में तथा सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण न करें।
9. नगर में वृक्षारोपण किये गये समस्त पौधों का संरक्षण करें।

सम्मानित सदस्यगण

1. श्री दीपक, 2. श्रीमती सुराती देवी, 3. श्री ब्रज किशोर सिंह, 4. श्रीमती जनिता, 5. श्री जितेन्द्र कुमार, 6 श्री गोरखनाथ, 7. श्री महेन्द्र गुप्ता, 8. श्री राजेन्द्र गौतम, 9. श्री ऋषिकेश पटेल, 10. श्रीमती रोहिणी, 11. श्री अजय कुमार गुप्ता, 12 श्रीमती रीनू, 13. श्रीमती दुर्गावती, 14. श्री अमितेश कुमार गुप्त, 15. श्री बृजेन्द्र पटेल, 16. श्रीमती संगीता, 17. श्री राहुल पाण्डेय, 18. श्री सदरे आलम, 19 श्री राणा पटेल, 20. श्रीमती रहमतुन निशा, 21. श्री लालजी, 22. श्री सिद्धार्थ नाथ शुक्ल, 23. श्री गोरख, 24. श्रीमती प्रमिला, 25. श्रीमती सावित्री

(मु.शमीम खां)
प्रधान लिपिक
न०पा०प०महराजगंज

(आलोक कुमार)
अधिशासी अधिकारी
न०पा०प०महराजगंज

(डॉ० पुष्पलता मंगल)
अध्यक्ष
न०पा०प०महराजगंज

(डॉ० पंकज कुमार वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
जनपद महराजगंज

(अनुनय झा)
जिलाधिकारी
महराजगंज

पत्रांक मेमो/ न.पा.प. मह./ 2023–24 दिनांक 24–1–2024

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com